राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1167/2024

डॉ. इन्दिरा शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, शिक्षा एवं होम्योपैथी विभाग, जयपुर।
3. डॉ. ममता शेखावत, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भगवानपुरा, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024

आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भगवानपुरा, अजमेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति का निधन दिनांक 16.06.2020 को हो चुका है और अपीलार्थी एक विधवा महिला है। अपीलार्थी के एक छोटा बच्चा है, जिसकी देखभाल के लिये अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। फिर भी अपीलार्थी का

स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर जिले में किया गया है और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी स्लिप डिस्क, कोलेस्ट्रोल, बीपी आदि बीमारियों से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–5 से प्रकट होता है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्य जिले में कर दिया है, जो उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 25.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह बहस की है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भगवानपुरा, अजमेर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक ए–3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति गोपाल कृष्ण मिश्रा जिनका निधन दिनांक 16.06.2020 को हुआ है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। अनुलग्नक ए–5 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उपचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते

है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 25.02.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य